उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी,विधानसभा मार्ग, लखनऊ,उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती–2015 के अर्न्तगत आरक्षी पी0ए0सी0 के अनारक्षित श्रेणी में रिक्त 1366 पदों तथा पुलिस आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति श्रेणी में रिक्त 13 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

संख्याः पीआरपबी–एक–1(91)/2015 दिनांकः सितम्बर 7 , 2018

सूचित किया जाता है कि "आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती–2015 " के अन्तर्गत आरक्षी पी0ए0सी0 के 5,716 पदों के सापेक्ष संशोधित चयन परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में 1492, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1543, अनुसूचित जाति श्रेणी में 1201 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 114 अभ्यर्थी चयनित हुये हैं। इनमें क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं 01 भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं। **इस चयन सूची में अनारक्षित श्रेणी में 1366 पद रिक्त रह गये हैं।**

2– इसी प्रकार पुलिस आरक्षी महिला के 5800 पदों के सापेक्ष संशोधित चयन परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में 2900, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 1566, अनुसूचित जाति श्रेणी में 1205 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 116 अभ्यर्थी चयनित हुये हैं। इनमें क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 15 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित सम्मिलित हैं। इस चयन सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी में 13 पद रिक्त रह गये हैं।

3– उपरोक्त पी0ए0सी0 के अनारक्षित श्रेणी में रिक्त 1366 पदों तथा आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति में श्रेणी में रिक्त 13 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा करायी जानी है।

4– उपरोक्त आरक्षी पी0ए0सी0 के अनारक्षित श्रेणी में रिक्त 1366 पदों के सापेक्ष 1923 अभ्यर्थियों की तथा आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति श्रेणी में रिक्त 13 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति की 33 महिला अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb. gov.in पर उपलब्ध है। उक्त आरक्षी पीएसी के अनारक्षित श्रेणी के 1923 एवं आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति श्रेणी के 33 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त आरक्षी पी0ए0सी0 के अनारक्षित श्रेणी के 580 अभ्यर्थी तथा आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति श्रेणी के 03 अभ्यर्थी जो पूर्व में हुई डीवी/पीएसटी में सफल हैं किन्तु अन्तिम चयन परिणाम में चयनित नहीं हो सके हैं, उन्हें दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु नहीं बुलाया जा रहा है किन्तु चयन परिणाम में उनको सम्मिलित किया जायेगा। इसमें पूर्व में हुई डीवी/पीएसटी में असफल/अनुपस्थित तथा चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऊपर से नीचे के क्रम में बुलाया जाना है।

5– आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दस्तावेजों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये **आरक्षी पी0ए0सी0 तथा आरक्षी महिला के अनुसूचित जाति** के अन्तिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार हैंः–

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	महिला (केवल पुलिस आरक्षी केलिए)
अनारक्षित	399.33	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–
अनुसूचित जाति	–	–	–	393.53
अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–

4— यद्यपि इस परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

5— बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्या पीआरपीबी—1(82)/2015 दिनांकित—29—12—2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रदेश के 08 जनपदों (इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी) में 17/18/19—09—2018 को होगी।

6— अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर भी दिनांक 09—09—2018 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र को बोर्ड की वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्म तिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं।

7— अतः बुलाये गये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र के साथ नियत तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सामान्यतया नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर उन्हें पुनः कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा।

8— दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित अपनी पात्रता आरक्षण, अधिमानी अर्हता आदि प्रविष्टियों के मिलान हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक—एक छायाप्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के सभी सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जॉच उसी दिन की जायेगी जिस दिन उसे बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेंगे, वे ही शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

9— शारीरिक मानक परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी ही सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त होंगे। इनमें से किसी एक परीक्षण में अनुपयुक्त अभ्यर्थी सम्पूर्ण परीक्षण में अनुपयुक्त होंगे।

10— केवल अर्हकारी और श्रेष्ठता सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सफल होने का अर्थ यह न होगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अन्तिम श्रेष्ठता सूची पर ही निर्भर करेगा।

11— कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही आपत्ति दर्ज करा सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा के सम्बन्ध में ऐसी किसी अन्य आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन आपत्ति करने में विफल रहता है। यदि अभ्यर्थी उसी दिन अपत्ति दायर करता है तो नोडल अधिकारी द्वारा आपत्ति के प्रकरणों का परीक्षण किया जायेगा।

12— यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

7.9.18

अपर सचिव, भर्ती/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।